बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 2—कार्यवाही--प्रश्नोत्तर रहित)

बुधवार, तिथि 7 अप्रील, 1982

विषय-सूची

पृष्ठ

विधान कार्य:

अध्यादेश की अस्वीकृति के संबन्ध में संकल्प 1—6

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अध्यादेश, 1982 (अस्वीकृत)।

सरकारी विधेयक:

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड विधेयक, 1982 (वि० स० विधेयक सं० 12/82) (सभा द्वारा यथासंशोधित स्वीकृत)। 7—38

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (अस्वीकृत) .. .. 38—41

शून्य काल की चर्चाएं—

(क) बेगूसराय में बिजली की आपूर्ति .. 41

(ख) पेयजल की समस्या 41-42

(ग) दारोगा द्वारा अत्याचार 42

(घ) उर्दू शिक्षक की बहाली 42-43

(ङ) श्री चन्द्रदेव शर्मा के विरुद्ध आवश्यक कारंवाई .. 43

(च) साम्प्रदायिक दंगा से पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता। 44-45

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य:

(अ) किसानों द्वारा आन्दोलन के फलस्वरूप गोलीकांड 46—49

(ब) सर्वश्री मातू सिंह एवं गिरीश चौधरी का अपहरण 50-52

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन (स्वीकृत) .. 52—54

स्वीकृत हो गयी है, यह कैसे? यह तो सामान्य होना चाहिये। इनलोगों के लिये अपवाद है क्या?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

बिहार सरकार का सन् 1979-80 के विनियोग लेखा, वित्त लेखे एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1979-80 (सिविल) का सभा-मेज पर रखा जाना एवं विधान मंडल के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उसे जनता में बिक्री के लिए शीघ्र प्राप्य कराने का प्रस्ताव।

डा० जगन्नाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में, बिहार सरकार का सन् 1979-80 के विनियोग लेखा, वित्त लेखे एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1979-80 (सिविल) को, जो विधान मंडल के सम्मुख रखने के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राज्यपाल के पास भेजा है, मेज पर रखता हूं।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 के उपबन्ध के अनुसार बिहार सरकार का सन् 1979-80 के विनियोग लेखा; वित्त लेखे एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1979-80 (सिविल) को लोक लेखा समिति द्वारा परीनिरीक्षण किया जायेगा तथा समिति का प्रतिवेदन यथासमय सभा में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सरकार का सन् 1979-80 के विनियोग लेखा, वित्त लेखे एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1979-80 (सिविल) को विधान मंडल के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिये शीघ्र प्राप्य हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"बिहार सरकार का सन् 1979-80 के विनियोग लेखा, वित्त लेखे एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1979-80 (सिविल) को विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता बिक्री के लिये शीघ्र प्राप्य हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अन्तराल)

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के 57 वें और 58 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री महावीर चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211(1) के अधीन प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का 57 वां एवं 58 वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ।

विधानकार्य:—अध्यादेश की अस्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प।

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्य करण) अध्यादेश, 1982।

श्री जनार्दन तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

यह सभा बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 को अस्वीकृत करती है।"

इसलिये मैं कह रहा हूँ कि इनकी मंशा बहुत खराब है। ये जबर्दस्ती, जोर-जुल्म के आधार पर एलेक्टेड बॉडी को हटाना चाहते है, बहुत से बिहार के प्रखण्डों में ब्लौक प्रमुख नही है, इनको हटाने और आगे कौंसिल का जो

चुनाव आ रहा है, 8-8 मेम्बर को हर ब्लोक प्रमुख को देने का अधिकार हो जायगा, इस प्रकार से यह सरकार कुकर्म कर रही है, अजनतांत्रिक काम कर रही है, यह सरकार नादिरशाही पर उतर आई है, जबर्दस्ती पावर इस बिल के जरिये लेने जा रही है। धारा 7 को देखा जाय, इसमें है कि "परन्तुक के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यपालिका समिति के आठ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जिनकी पदावधि निर्वाचित मुखिया के शपथ-ग्रहण की तिथि से समाप्त हो जायगी"।

हुजूर, इसमें आप देखें कि पंचायती राज का अधिकतर मुखिया, उसमें संशोधन करके नहीं दे रहे हैं, अधिकतर मुखिया, द्वारा मुखिया और वर्त्तमान मुखिया पंचायत कोष का गबन करके रखते हैं, इनके अधिकारी जो पंचायत के हैं, जो जिला अधिकारी हैं, वे मिलजुल कर खा रहे हैं, लेकिन गांव के रोड को बना नहीं रहे हैं, पैसा देकर इसकी मरम्मती नहीं करा रहे हैं, सभी अधिकार होने के बावजुद नहीं बना रहे हैं। हम कैसे शासन में बने रहें, हमारा अधिकार क्षेत्र कैसे बना रहे और कैसे हमारे एम० एल० सी० को अपने पार्टी का चुनकर लावें इसी दृष्टि से इस बिल को लाया गया है। हमारे विरोधी दल के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, अपदस्थ करने के लिये ये नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, इसलिये मैंने कहा कि यह गैर-कानूनी बात है, सभा इसको अस्वीकृत करे।

श्री रामाश्रय राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी की बातों को सुन

रहा था, लगा ऐसा कि महात्मा गांधी को जो इस राष्ट्र की कल्पना थी उसको वे साकार होने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि हमारी सरकार को इस बात की कल्पना है जिसे किसी सरकार ने पूरा नहीं किया है उस कल्पना को हमारी सरकार पूरा कर रही है। और उसे सुधार के माध्यम से पूरा कर रही है। 1947 में पंचायत राज बना, 1961 में संशोधन किया गया और फिर उसमें 1963 में संशोधन किया गया। इसके बाद यह अनुभव करने लगे कि इसको फंक्शन कराने में ग्राम-पंचायत, जिला पर्षद् की आवश्यकता हुई और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें सुधार किया। ये कहते हैं कि हमलोग इसके हिमायती हैं लेकिन इनकी बातों से ऐसा नहीं लगता है। इसमें यह प्रावधान दिया गया है जो स्पष्ट है कि युवक जिनकी आयु 18

वर्ष की होगी वैसे व्यक्ति भी ग्राम-पंचायत के सदस्य हों। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। ग्राम-पंचायत का एलेक्शन जो होता है उसमें जो वाहन इस्तेमाल किया जाता है उसका पैसा नहीं मिलता है, उसमें भी सुधार लाया गया है। बागे समिति द्वारा आजतक जो भी रिपोर्ट बनी है हमारी सरकार ने सब पर मद्देनजर रखते हुए संशोधन किया है। यह बहुत ही उपयोगी विधेयक है जिसको स्वीकृत करना चाहिये।

श्री बालिक राम—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 को अस्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव सदन में माननीय सदस्य श्री जनार्दन तिवारी द्वारा प्रस्तुत है, उससे मैं सहमत हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें उनको नौमिनेशन करके लाने की बात है। उनको नौमिनेट करके इसमें रखा जायगा जो जनतंत्र की परम्परा के खिलाफ है। जिस तरह से विधान-सभा में हरिजन और आदिवासी के लिये सीट सुरक्षित है उसी तरह इसमें भी होना चाहिये, नोमिनेशन करना हरिजन और आदिवासी के विरुद्ध है। क्यों आप इनको नौमिनेट करते हैं इसलिये कि इसमें कांग्रेस के लोग आये और सत्ता पक्ष के लोग हैं वही इसमें रहें। दूसरी बात यह है कि चुनाव के दौरान किराये की गाड़ी का प्रबन्ध किया जाता है जिन्हें आप बाजार दर से किराया देते हैं। मई महीना में गाड़ी का उपयोग करते हैं तो आप 9 महीना के बाद, साल भर के बाद उसे पैसा देते हैं। आप उनको बाजार से दस गुना पैसा दीजिये क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसमें आप संशोधन कीजिये। हम चाहते हैं कि उसको 10 गुना पैसा मिले। आप हरिजन के लिये अलग से चुनाव का प्रबन्ध करें। नोमिनेट करने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री अब्दुल गफूर—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री रामाश्रय राय ने सरकार की तारीफ की है। जितना समर्थन करना हो करें लेकिन बुराई को दूर करने के लिये नोमिनेशन का जो तरीका है, वह गलत है। मैं एक चीज को कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस के दोस्तों से कि वे इस पर गंभीरता से सोचें। मुझे याद है कि हमलोगों के पुराने जमाने में, जब हमलोग मेम्बर थे, तो एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमलोग कुछ कहते थे तो मानते न ~ ~ । उनको मालूम

होता था कि वे जिन्दगी भर एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे । 3-4 महीने के बाद वे बदले दिये गये । वही बात आज भी है कि अगर इधर के मेम्बर उधर हो जांय और उधर के मेम्बर इधर हो जायेंगे तो फिर उनको गलत मालूम होने लग जायगा । अगर उन्हें नोमिनेशन से ही लाना है तो नोमिनेट करने का अधिकार उनको होना चाहिये, जो ग्राम पंचायत के एलेक्टेड मेम्वर्स हों । अगर आज हमारे दोस्त डॉ० जगन्नाथ मिश्र, मुख्य मंत्री हैं, तो आज ग्राम पंचायत जगन्नाथ पंचायत है और अगर कभी श्री कर्पूरी ठाकुर मुख्य मंत्री हैं, तो वह ठाकुर पंचायत हो जाता है । हर प्रान्त वाले अपनी ही पसंद से ग्राम पंचायत का ढांचा तैयार किया है । इसलिये मेरा कहना है कि नोमिनेट करने का अधिकार सरकार का नहीं होना चाहिये बल्कि ग्राम पंचायत के एलेक्टेड मेम्बर्स को ही होना चाहिये ।

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश 1978 के पहले से लागू किया गया था । अब हमलोग इसको कानून का रूप दे रहे हैं । इसमें यह कहा गया है कि 18 वर्ष के लड़के को भी ग्राम-पंचायत के चुनाव में वोट देने का अधिकार रहेगा । यह मनोनयन नहीं हो रहा है, को-ओप्शन हो रहा है । उस पर भी उस ग्राम पंचायत में मनोनयन होगा जो नवगठित हो, जहां चुनाव नहीं हुआ है वहां समाहर्त्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वे काम चलाने के लिए मुखिया और सरपंच का मनोनयन करेंगे और वह भी जबतक चुनाव नहीं हो जाता तबतक के लिए ही जहां ग्राम पंचायत कार्यरत है वहां इस अध्यादेश के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है, वैसी हालत में वहां मनोनयन नहीं होगा । इसके पहले मुखिया मनोनयन का काम करते थे, अब इस काम को करने का भार कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को को-ओप्शन का अधिकार दे दिया गया है । इस तरह इसमें मनोनयन का प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:—

यह सभा बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 अस्वीकृत करती है ।

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

सरकारी विधेयक—:बिहार पंचायत राज संशोधन और विधिमान्यकरण)विधेयक, 1982, वि० स० 13/82

श्री शंकर दयाल सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज(संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 के पुरः स्थपित करने की अनुमति दी जाय।

पुरः स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शंकर दयाल सिंह—मैं विहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष—उपर्युक्त विधेयक पुरः स्थापित हुआ।

श्री शंकर दयाल सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 पर विचार हो।

श्री राम लषण राम "रमण"—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"विहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982, तिथि 30 अप्रील, 1982 तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो।"

मैं इसलिये कह रहा हूं कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि ये गांधी जी का नाम घसीट कर गांधी जी के सपने को पूरा करना चाहते हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि आखिर अबतक गांधी जी के सपने को क्यों नहीं पूरा किया गया ? "बापू की इच्छा क्यों नहीं अबतक कहीं पूरी हुई, बदले में क्यों

हमराज के इतनी बड़ी दूरी हुई ।" सरकार कहती है कि पंचायती राज की घोषणा करके हम सबको नजदीक लाना चाहते हैं, पावर का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, मगर सच पूछा जाय तो आज इन्होंने पंचायती राज की घोषणा करके पंचायत एक बड़ा मखौल साबित हुआ है, जिसका कोई उदाहरण संसार में नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल में किंगशिप है, वहां पर 25 परसेन्ट नौमिनेट कर दिया जाता है ताकि जनता का बहुमत न होने पावे, जनमत का अधिकार न होने पावे। आप नौमिनेट करके अपने मोनोपोली चलाना चाहते हैं। जब से आपने पंचायती राज की घोषणा की है तब से यह तो थियोरी में आया लेकिन प्रैक्टिकल रूप में पंचायत का खातमा हो गया। पहले मुखिया को अपने हस्ताक्षर से कुछ पैसे खर्च करने का अधिकार था मगर जब से पंचायती राज की घोषणा हुई है तब से यह अधिकार उनसे छीन लिया गया है। मैं ऐसी बात इसलिये कह रहा हूं कि मैं भी मुखिया रहा हूं, जिला परिषद् समिति का मंत्री हूं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो अधिकार पहले मुखिया को था, ग्राम सेवक को था, उससे छीनकर सारा अधिकार सेक्रेटरी के हाथ में दे दिया गया। ऐसा आप इसलिये कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के आदमी को अधिकार मिल जाय। पंचायत में पहले मुखिया गेहूं, चीनी, सीमेन्ट, मिट्टी का तेल बांटता था मगर आज इनकी पार्टी के लोग इस काम को कर रहे हैं।

श्री रामाश्रय राय--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक में गेहूं, चीनी, सीमेन्ट, का जिक्र नहीं है।

श्री राम लषण राम "रमण"--मैंने जड़ की बात कही है "जो अन्दर है दिल के जुवां पै नहीं है, जुवां पै जो है दिल के अन्दर नहीं है।" उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल रूप में सारे अधिकार को समाप्त करने की साजिश हो रही है, इसलिये कि धोखा देकर आप मूर्ख जन का मरकट नाच नचाते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह--1978 के विधेयक में जो चुनाव के पहले अधिकार था उसी का विधिमान्यकरण किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात का समावेश

नहीं किया गया है इसलिए इसको न तो जनमत को भेजने की जरूरत है, न संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है और न प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने-अपने संशोधन को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 तिथि 30 अप्रील, 1982 तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—अब संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने के लिये श्री जनार्दन तिवारी का संशोधन है। वह मूव्ह करें।

श्री जनार्दन तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

बिहार पंचायत राज्य (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से बीस दिनों के अन्दर दे।

इसलिये मैंने यह प्रस्ताव दिया है कि संयुक्त प्रवर समिति में इसपर गंभीरतापूर्वक विचार हो। हुजूर ये क्या करेंगे? जितने कांग्रेस (आई) के रिजेक्टेड युथ लोग हैं उनको उसमें डाल देंगे और यही लोग पंचाक्षत के माध्य से चीनी का वितरण करेंगे, सीमेन्ट का वितरण करेंगे। अभी जितना डिस्टिक्ट बोर्ड का ठीका का काम होता है उसको ये लोग ले लेते हैं।

श्री लालमुनी चौबे—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मंत्री ने कहा कि मनोनयन की बात नहीं है जबकि इस विधेयक में मनोनयन की बात है। इसलिये इसको ये स्पष्ट करें।

उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री लालमुनी चौबे—इसमें मनोनयन के बारे में है। इसलिये मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें।

उपाध्यक्ष—ये अपने भाषण में स्पष्ट कर देंगे।

श्री जनार्दन तिवारी—तो मैं कह रहा था कि यह सारा जो महौल ये बना रहे हैं वह कांग्रेस (आई) के लोगों के लिये खड़ा करना चाहते हैं और ये कांग्रेस (आई) के युथ लोग, जो अभी लूट-खसोट में लगे हुए हैं, इसमें भी लूट-खसोट करेंगे। इसीलिये मैंने यह संशोधन लाया है कि वहाँ बैठकर इसपर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सके।

श्री रामाश्रय राय—उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने के लिये जो संशोधन लाया गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं।

श्री रमेन्द्र कुमार—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में यह परिपाटी रही है कि जिस सदस्य का प्रस्ताव होता है वही बोलते हैं। अभी जिनका प्रस्ताव है वही बोलें।

श्री रामाश्रय राय—माननीय श्री तिवारी जी की जो शंका है वह निर्मूल है।

श्री रमेन्द्र कुमार—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि माननीय सदस्य श्री रामाश्रय राय जो बोल रहे हैं वे किस प्रावधान के अन्दर बोल रहे हैं। यह सदन की परिपाटी है कि जिस सदन का मोशन रहेगा, जिस सदन का प्रस्ताव रहेगा वही सदस्म इसमें बोलेंगे, दूसरे सदस्य बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर दूसरे सदस्य कुछ बोलना चाहते हों तो वे स्वीकृति के प्रस्ताव में अपनी राय देंगे। इसलिये मैं कह रहा हूं कि इन्हें कृपया बैठने के लिये कहा जाय।

उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री।

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपके माध्यम से अनुरोध किया था कि यह अध्यादेश नया अध्यादेश नहीं है। 1978 के पहले से यह अध्यादेश लागू है और इस अध्यादेश के माध्यम से 18 वर्ष के लड़के को जो गांव में रहते हैं, उनको मत देने का अधिकार दिया गया है। माननीय तिवारी जी तथा मिश्र जी ने मनोनयन के बारे में प्रश्न दिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मनोनयन का प्रश्न वहीं उठता है जहां पंचायतों का विभाजन होता है। जहां नया बनेगा वहीं पंचायत समिति की सलाह पर जिला के समाहर्त्ता कार्यकारिणी के सदस्य को मनोनीत करेंगे लेकिन जैसे ही पंचायत का चुनाव हो जायेगा, यह मनोनयन समाप्त हो जायेगा। इसलिये यहां पर नोमिनेशन का प्रश्न नहीं है, को-औपशन है। अबतक जो रिवाज रहा है कि मुखिया लोग अपने ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी के लिये अनुसूचित जाति और बैक्वार्ड क्लास के लोगों को मनोनीत किया करते थे। इस मनोनयन के अधिकार को इस अध्यादेश के द्वारा हटा दिया गया है। अब पूरी कार्यकारिणी की बैठक होगी, कार्यकारिणी के सभी सदस्य मिलकर को-ओप्ट करेंगे। मनोनयन का प्रश्न कहां उठता है। इसलिये मैं तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का जो इनका प्रस्ताव है उसको वापस ले लें।

(माननीय सदस्य ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 एवं संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से बीस दिनों के अन्दर दे।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री कृपा शंकर चटर्जी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ओफ ओर्डर है। अभी मंत्री जी ने कहा कि को-ओप्शन है, नोमिनेशन नहीं है तो क्या नोमिनेशन शब्द को हटाया जायेगा ?

उपाध्यक्ष—जवाब देने के समय कहेंगे।

श्री रामविलास मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

बिहार पंचायती राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर दे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो प्रस्तुत विधेयक है उसमें कई तरह की खामियां हैं और अगर माननीय मंत्री इसमें जिन संशोधन की आवश्यकता हैं इसको अगर मान लें तो फिर प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नही रहेगी । जैसे परिसर, वाहन, जलयान आदि अधिग्रहण करने की जो बात है उसमें तो ये अधिग्रहण करेंगे लेकिन उसका जो प्रतिकर होगा उसका भुगतान ये कितने दिनों के बाद करेंगे इसका जिक्र इसमें नहीं है आप देखे होंगे कि गत चुनाव में परिसर, मकान या वाहन जितने लिये गये उसके प्रतिकर का भुगतान साल-साल भर के बाद भी नहीं किया गया । हमलोंगो को प्रश्न करना पड़ा और प्रश्न करने के बाद भी नहीं हुआ । प्रतिकर देय के लिये मध्यस्त की नियुक्ति होगी लेकिन मध्यस्त कौन होगा सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा या जो परिसर आदि देंगे उनकी राय से नियुक्त किया जायेगा, इसको पढ़ा जाय, इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं है ।

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा और जैसा मैंने पहले भी कहा इसको प्रवर समिति में भेजने की जरुरत नहीं है, इसको वापस ले लें ।

(माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस नहीं लिया)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर दे ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार पंचायत राज्य (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—खंडशः प्रश्न यह है कि :

खंड 2, 3, 4, इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, 3, 4 विधेयक के अंग बनें।

श्री तुलसी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ग की उप-धारा (1) मद (*ii*) की पंक्ति छः एवं आठ में शब्द "या पशु" विलोपित किये जांय।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस धारा के मुताबिक पत्र पेटिकाओं को पहुंचाने के लिये वाहन को लेने के साथ-साथ पशु को भी लेने की बात कही है। आज के इस वैज्ञानिक युग में कहीं भी पशु को ले जाने की आवश्यकता होगी ऐसा मैं नहीं समझता हूं। इनके अधिकारी तंग करने के ख्याल से बकरी, गदहा, बैल, गाय सभी पशु सभी को इसमें रखा है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पशु को रखा गया है मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैंने आग्रह किया है कि आज के युग की आवश्यकता को देखते हुए "या पशु" शब्द को विलोपित किया जाये।

श्री राम लषण राम "रमण"—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ग की उप-धारा (1) की मद (*ii*) की पंक्ति दस में शब्द "समीचीन प्रतीत हो" के बाद शब्द "अधिग्रहण की अवधि का उचित मुआवजा दिया जायगा" जोड़े जांय।

श्री तुलसी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ग की उप-धारा (1) के परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाय :—

"किस व्यक्ति द्वारा निजी निवास के लिये व्यवहार होनेवाली परिसर का अधिग्रहण नहीं किया जायगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव को संचालन कराने के लिये परिसर लेने की बात विधेयक में है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा निजी निवास के लिये व्यवहार होनेवाली परिसर को लिया जायगा कि नहीं। इसके नहीं रहने से कोई पदाधिकारी किसी गरीब का घर जिसमें वह रहता है उसको भी ले लिया जायगा। इसलिये इस परन्तुक को जोड़ना आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि गरीबों की तंग किया जाय। आप इस परन्तुक को जोड़ने के लिये राजी हो जायगे।

श्री राजकुमार पूर्वे—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ग की उप-धारा (4) को मद (क) की पंक्ति 1 से 3 में शब्द "भवन या भवन का कोई भाग और इसमें झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग शामिल है" विलोपित किये जांय।

उपाध्यक्ष महोदय; मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ग की उप-धारा (4) की मद (ख) के बाद निम्नलिखित मद (ग) अन्तः स्थापित की जाय :—

(ग) "पशु" से अभिप्रेत है, हाथी।

उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव कार्य को सुचारुरूप से चलाने के लिये ये किसी का मकान या भवन या उसका कोई भाग, झोपड़ी या शेड या अन्य संरचना का कोई भाग कैसे ले लेंगे। ऐक्ट में लिखा हुआ है कि झोपड़ी में चुनाव करावेंगे। ये महल में क्यों नहीं चुनाव करायेंगे ? आप जमीन ले सकते हैं लेकिन किसी का घर या मकान कैसे ले सकते हैं ? और जहांतक झोपड़ी की बात है, तो कैसे ले सकते हैं ? यदि आपको कोई नहीं देगा तो आप उसको जेल भी दीजियेगा। इसलिये सरकार इस बात को एक्सप्लेन करे कि झोपड़ी

लेकर आप क्या कीजियेगा। हां बूथ बनाने के लिये आप प्लेन जमीन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने ऐक्ट में प्रावधान कर रहे हैं कि कोई जानवर ले सकते हैं हाथी ले सकते हैं। जहां आपको पानी हो उसमें चलने के लिये आप हाथी ले सकते हैं, बैलगाड़ी ले सकते हैं, लेकिन जानवर कैसे ले सकते हैं? यदि आप ऐसा करेंगे तो अन्याय होगा और झोपड़ी लीजियेगा तो कोर्ट में केस हो जायगा, हाई कोर्ट में केस हो जायगा। आपके कंस्टीच्यूशन में भी नहीं लिखा है इसलिये यह काम आपका इललिगल हो जायगा। कोई इस ऐक्ट को चैलेन्ज करेगा तो यह इललिगल हो जायेगा।

<u>श्री रामलखन सिंह यादव</u>—जहां तक हुजूर, मैं कहना चाहता हूं कि पोलिंग बूथ का सवाल है, इसके संबंध में किसी की झोपड़ी, मकान चाहे पक्का हो या कच्चा चुनाव के नाम पर किसी भी प्राइवेट घर या किसी के मकान को आप नहीं ले सकते हैं। इसके संबंध में साफ नियम है। वह सार्वजनिक स्थान होगा। अगर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध नहीं हो तो सार्वजनिक जमीन या खेत जिसको प्लौट लेकर आपही नोटिफाई करेंगे कि हम इसको चुनाव कार्य के लिये उपयोग करना चाहते हैं लेकिन आप चुनाव कार्य के लिये किसी के मकान; चाहे झोपड़ी हो या महल नहीं ले सकते हैं।

<u>उपाध्यक्ष</u>—राजकुमार पूर्वे जी, श्री राम लषण राम "रमण" का जो संशोधन प्रस्ताव है माननीय मंत्री पहले उसका जवाब दे दें।

<u>श्री शंकर दयाल सिंह</u>—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तुलसी सिंह का जो "पशु" शब्द का विलोपित करने का प्रस्ताव है उसके संबंध में कहना है कि अभी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सवारी जाना मुश्किल है। राम लषण बाबू जानते हैं कि दीयारा की बहुत-सी ऐसी जमीन है जहां ट्रक, ट्रैक्टर या बैलगाड़ी नहीं जा सकती है। ऐसी जगहों के लिये पूर्वेजी ने सुझाव दिया है कि हाथी रखा जाय तो हाथी भी लिया जा सकता है। जहां गाड़ी की जरुरी होगी वहां बैलगाड़ी भी ली जा सकती है। इसलिये 'जानवर' शब्द कैसे हटाया जा सकता है। जब बैलगाड़ी की जरुरत होगी तो बैल को कैसे नहीं लिया जायेगा, बैलगाड़ी चलेगी कैसे?

श्री राम लषण सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, अभीतक चुनाव के संबंध में जो आलरेडी ऐक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आप कौन-कौन-सी सवारी ले सकते हैं और कहां-कहां चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप नया प्रोभिजो लाकर लोगों को तंग क्यों करना चाहते हैं ?

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक किसी के आवास या झोपड़ी लेने का सवाल है, सरकार इस सुझाव से सहमत है कि जिस मकान में स्त्री या बच्चा या परिवार रहता हो वैसा मकान नहीं लिया जाय। लेकिन यदि कोई मकान बाहर में है तो और सरकार समझती है कि वहां मतदान केन्द्र बनाया जा सकता है तो ऐसे मकान को लिया जा सकता है।

श्री राजकुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, भवन या उसका कई भाग उसमें झोपड़ी या शेड नहीं आ सकता है। आपने ऐक्ट में संरचना या उसके किसी भाग की भी बात कही है, तो मैं सरकार से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि आप किसी की झोपड़ी कैसे ले सकते हैं ? और आप झोपड़ी में चुनाव कैसे करायेंगे ?

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि यदि झोपड़ी बाहर में है तो चुनाव कार्य के लिये उसको लिया जा सकता है। मैंने कहा कि जिस मकान में स्त्री, बच्चा या परिवार रहता हो उस मकान को नहीं लिया जा सकता है।

श्री तुलसी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही तो संशोधन ही है, इसको सरकार मानती है न ?

श्री रामलखन सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जो ऐक्ट है उसके अनुसार ये किसी भी प्राईवेट मकान को नहीं ले सकते हैं और उसमें पोलिंग बूथ नहीं बना सकते हैं, कौन कानून से आप लीजियेगा ?

श्री रामाश्रय राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं। इसकी

परिभाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "परिसर" से अभिप्रेत है कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग और इसमें झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग शामिल है ।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री तुलसी सिंह जी आप अपना संशोधन वापस लेंगे?

श्री तुलसी सिंह—नहीं ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ग की उप-धारा (1) के मद (*ii*) की पंक्ति छः एवं आठ में शब्द "या पशु" विलोपित किये जांय ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री राम लषण राम "रमण" जी आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री रामलषण राम "रमण"—नहीं ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ग की उप-धारा (1) की मद (*ii*) की पंक्ति दस में शब्द "समीचीन प्रतीत हो" के बाद शब्द "अधिग्रहण की अवधि का उचित मुआवजा दिया जायेगा" जोड़े जांय ।

जो इसके पक्ष में हों वे "हाँ" कहें, जो इसके विपक्ष में हों वे "न" कहें । मैं समझता "ना" के पक्ष में बहुमत है ;

(विरोधी पक्ष माननीय सदस्य 'हां' के पक्ष में बहुमत है ।)

उपाध्यक्ष—घंटी बजाई जाय ।

(घंटी बजी)

(खड़े होकर मतदान क्रिया जारी)

उपाध्यक्ष--विभाजन का फल इस प्रकार है--

"हां" के पक्ष में 57 और "ना" के पक्ष में 65 ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री शंकर दयाल सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जिस मकान में महिला और बच्चे होंगे, उसे हम नहीं लेंगे ।

श्री तुलसी सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, आखिर परिवार का क्या मतलब होता है ? संशोधन में "परिवार" शब्द है । "परिवार" का तो मतलब ही होता है बीबी और बच्चे के साथ, फिर मंत्री कैसे कह रहे हैं कि महिला और बच्चे होंगे तो हम नही लेंगे ? मंत्री जी ने कहा है कि जिस घर में औरत तथा बच्चे रहेंगे उसको नहीं लिया जायगा और मेरा संशोधन है कि जिसमें परिवार रहता हो उसको नहीं लिया जाय ।

श्री शंकर दयाल सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय श्री तुलसी बाबू ने कहा है जो रूल बनेगा इंस्ट्रक्शन बनेगा उसमें इसका समावेश कर दिया जायगा ।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि--

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ग की उप-धारा (1) के परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाय "किसी व्यक्ति द्वारा निजी निवास के लिये व्यवहार होने वाली परिसर का अधिग्रहण नहीं किया जायगा" ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री राजकुमार पूर्वे--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसमें पहले विधि विभाग से राय ले ली जाय । जिला जज आपके सचिव हैं, उनकी राय ले ली

जाय कि पिपुल्स रिप्रेजेनटेशन ऐक्ट के खिलाफ आप कानून बना सकते है कि नहीं। आप किसी के घर, झोपड़ी, शेड में पोर्टेबल बुथ बना सकते है लेकिन किसी घर, झोपड़ी और शेड को नहीं ले सकते है और मंत्री जी कहते हैं कि किसी का मकान ले सकते हैं। आप पिपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के खिलाफ कानून नहीं बना सकते हैं। आप पहले इसका तियमन दे दीजिए कि इस ऐक्ट के खिलाफ यहां हम कानून बना सकते हैं कि नहीं। इसके बारे में आप पहले राय ले लीजिए,

श्री रामविलास मिश्र—जहां किसी का परिवार रहता हो, जिसमें औरत रहती हों उसको आप जबर्दस्ती कैसे अधिग्रहण कर सकते हैं?

श्री राम परीक्षण साह—महोदय, जैसा कि पूर्वेजी ने कहा हैं आप एडवोकेट जेनरल से राय ले लीजिए, क्योंकि यह गैरसमझदारी में लाया गया है। तबतक इस अंश को स्थगित रखिए और दूसरे विधेयक को पास कराइए।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक ऐसा आदमी रहता है जिसको तीन-तीन घर होता है या कई जगह उसका घर रहता है यानी इसमें कभी रहते हैं, कभी उसमें रहते हैं, इस तरह से सब मकान कुछ-न-कुछ दिन करके रहते हैं तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है लॉ डिपार्टमेंट से एप्रूभ कराकर ही इसे लाया गया है।

श्री शंकर दयाल सिंह—इसमें विधि विभाग की राय ले ली गयी है। उनकी ऐसी कोई राय नहीं है कि प्राईवेट हाउस नहीं बन सकता है,

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य पूर्वे जी, इस खण्ड को अभी स्थगित कर दिया जाता है जबतक कि इसका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है।

श्री राज कुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रुलिंग सही है।

श्री शंकर दयाल सिंह—विधि विभाग से इसपर राय ली गयी है। यह पुराना

अध्यादेश का हू-बहू वही रूप है और इसके पहले भी चुनाव इसी अध्यादेश के मुताबिक हुआ है।

उपाध्यक्ष—श्री राज कुमार पूर्वे जी अपना संशोधन पेश कीजिये।

श्री राज कुमार पूर्वे— उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी संशोधन को एक साथ पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-घ की उप-धारा (1) विलोपित की जाय।"

"विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ङ विलोपित की जाय।"

"विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-च विलोपित की जाय।"

"विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-छ की उप-धारा (1) विलोपित की जाय।"

"विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-ज विलोपित की जाय।"

"विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-झ विलोपित की जाय।"

हुजूर, पहले वाले को तो आपने स्थगित कर दिया है उसी से यह रिलेटेड है कि कैसे मुआवजा देंगे और जो नहीं मानेगा तो उसको जुर्माना किया जायगा। पहले वाले से ही यह रिलेटेड है। किसी का मकान आप लीजियेगा तो कितना मुआवजा देंगे और कोई घर देने में बाधा करेगा तो उसको क्या सजा देंगे। उसी के बारे में यह है लेकिन पहले वाले को आपने स्थगित रखा है तो फिर इसका डिसीजन कैसे होगा? इसलिए अभी जो डिसीजन लेंगे वह गलत होगा। यह सब प्रोसेस है इसलिए इसको स्थगित रखा है। एक साथ ही निर्णय हो जायेगा। इसका हटा दीजिए या रखिए फेट एक ही होगा। कोई हर्ज नहीं है।

उपाध्यक्ष—पुट करते हैं।

श्री राजकुमार पूर्वे—पुट करने से हो जायेगा?, भवन का किराया इतना

लिया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि भवन नहीं रहेगा तो किराया क्या लीजिएगा ? सभी उसी से सम्बन्धित हैं।

उपाध्यक्ष—आप समाप्त कीजिए। श्री राम लषण राम "रमण"। आप मूव कीजिए।

श्री राम लषण राम "रमण"—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-घ की उप-धारा (*i*) की मद (*ii*) विलोपित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक राय देना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय। अभी इतना हंगामा है कि किसका घर लेंगे, किसका घर नहीं लेंगे ? यह पंचायती राज का कितना बड़ा मखौल है। जिस पंचायत को आपने पंचायती राज का दर्जा दिया है उसके लिए भोट करने 800–900 लोग जायेंगे। परन्तु ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए एक भी सरकारी भवन नहीं हो, कार्यालय नहीं हो और सार्वजनिक स्थान में इसकी व्यवस्था हो, यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि इसको भी समाप्त किया जाये।

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने पंचायती-राज के साथ मखौल किया है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उनका कहना बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार पंचायती राज की कितनी कद्र करती है उसके बारे में बतलाना चाहता हूं कि पंचायतों का चुनाव तत्कालीन सरकार की हुकूमत ने कराया। परन्तु वह पंचायती राज कायम नहीं कर सकी और वह सरकार समाप्त हो गयी। दूसरी ओर मैं बतलाना चाहता हूं कि जैसे ही कांग्रेस (आई) की सरकार आयी तो मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने एलान किया (शोरगुल)। उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि हम मखौल करते हैं। इसलिए उन्हें बतलाना चाहता हूं कि हम मखौल नहीं करते हैं (शोरगुल)।

सदस्य—आप खंड पर बोलिए।

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं बतलाना चाहता हूं कि पहले से अध्यादेश है। उसी अध्यादेश को क़ानूनी रूप देना है। चूंकि यह कई वर्षों से चला आ रहा है, इसलिए माननीय सदस्य, श्री राजकुमार पूर्वेजी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे इसे वापस ले लें।

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार के क्रिया-कलाप की आलोचना की गयी है। यह लोकतंत्र के साथ मखौल कर रहे हैं।

श्री राज कुमार पूर्वे—पहले वाला स्थगित नहीं रखा? (शोरगुल)।

सदस्यगण—धारा 1 (5) को स्थापित रखा गया है। (शोरगुल)।

(दोनों पक्ष के सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में काफी शोरगुल होने लगा।)

श्री राम विलास मिश्र—इस विषय पर आसन का नियमन हो चुका है, उसे चैलेन्ज नहीं किया जाय।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री राजकुमार पूर्वेजी, आप जो कह रहे हैं उसे मान लिया जायगा तो भायलेशन होगा। आप कहे तो मैं नियम पढकर सुना देता हूं।

Representation of the People Act, 1951.

160, Requisitioning of premises, vehicles, etc, for election purposes. (1) If it appears to the State Government that in connection with an election held within the State .....

(a) any premises are needed or likely to be needed for the purpose of being used as a polling station or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken, or...

मैं समझता हूं कि अब इसको स्थगित रखने की कोई जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित (धारा) 3-घ की उप-धारा (1) की मद (*ii*) विलोपित की जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री बालिक राम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-घ की उप-धारा (2) की पंक्ति पांच में शब्द "आधार पर" के स्थान पर शब्द "दस गुणा" रखे जाय।

किराया बाजार दर पर देंगे, लेकिन यह नहीं कहा है कि किराया कितने दिनों में देंगे। अभी तक तो यही देखा गया है कि लोग कलक्टर के यहां सालों साल दौड़ते-दौड़ते थक कर रह जाते हैं और किराया नहीं मिल पाता है। इसलिये दस गुणा कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री शंकर दयाल सिंह—महोदय, अभी बाजार दर से किराया दिया जायेगा, लेकिन किसी को शिकायत होगी तो उसे हाउस औथोरिटि के पास शिकायत करने का भी हक रहेगा। दस गुणा करना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-घ की उप-धारा (2) की पंक्ति पांच में शब्द "आधार पर" के स्थान पर शब्द "दस गुणा" रखे जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री रामलषण राम "रमण"—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-छ की उप-धारा (1) की तृतीय पंक्ति के शब्द "सरकार द्वारा" के बाद शब्द एवं कोष्ठक "पुनर्वास की व्यवस्था के बाद (यदि वह भूमिहीन हो)" जोड़े जाये।

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कोई जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य इसे वे वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड 5 के अधीन प्रस्तावित धारा 3-छ की उप-धारा (1) की तृतीय पंक्ति के शब्द "सरकार द्वारा" के बाद शब्द एवं कोष्ठक "पुनर्वास की व्यवस्था के बाद (यदि वह भूमिहीन हो)" जोड़े जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 5 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 6 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक का अंग बना।

श्री रामलषण राम "रमण"—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 7 के अधीन प्रस्तावित धारा 10 के परन्तुक की पंक्ति पांच में शब्द "सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं" के बाद "जिनमें दो हरिजन/आदिवासी एवं एक महिला सदस्य होंगी" जोड़े जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमने पहले भी कहा था कि आप आरक्षण पर जोर देते हैं। लेकिन आरक्षण का स्थान नहीं रखते हैं। इसलिये हमने यह संशोधन दिया है कि 2 हरिजन या आदिवासी हों और एक महिला रखी जाये।

श्री शंकर दयाल सिंह—इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड 7 के अधीन प्रस्तावित धारा 10 के परन्तुक की पंक्ति पांच में शब्द "सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं" "बाद के जिनमें दो हरिजन/आदिवासी एवं एक महिला सदस्य होंगी" जोड़े जायें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 7 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक का अंग बना।

श्री रामविलास मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 8 के उप-खंड (3) के अधीन धारा 11 की प्रस्तावित उप-धारा (2) की पंक्ति दो में शब्द "पांच वर्षों" के स्थान पर शब्द "चार वर्षों" एवं पंक्ति पांच में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रखे जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि 5 वर्ष के समाप्त होने पर भी चुनाव नहीं होता है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि 5 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष रखा जाय, इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री शंकर दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य इसे वापस कर लें।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड 8 के उप-खंड (3) के अधीन धारा 11 की प्रस्तावित उप-धारा (2) की पंक्ति दो में शब्द "पांच वर्षों" के स्थान पर शब्द "चार वर्षों"

एवं पंक्ति पांच में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर "शब्द चार वर्ष" रखें जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री रामलषण राम "रमण"—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता करता कि,

विधेयक के खंड 8 के उप-खंड (3) के अधीन धारा 11 की प्रस्तावित उप-धारा (2) की पंक्ति दो में शब्द "पांच वर्षों" के स्थान पर शब्द "तीन वर्षों" एवं पंक्ति (पांच में शब्द) "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रखे जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये यह संशोधन लाया है कि इसका असर पंचायत समिति पर पड़ता है और जिला पर्षद पर भी। पहले 3 ही वर्ष था और 8 सदस्य मनोनीत करके भेजे जाते थे। ऐसा नहीं करने से जिला और पंचायत परिषद पर सरकार का अधिकार बढ़ जाता है।

श्री शंकर दयाल सिंह—इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:—

विधेयक के खंड 8 के उप-खंड (3) के अधीन धारा-11 की प्रस्तावित उप-धारा (2) की पंक्ति में दो शब्द "पांच वर्षों" के स्थान पर शब्द "तीन वर्षों" एवं पंक्ति पांच में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रखे जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री राम विलास मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

विधेयक के खंड-8 के उप-खंड (3) के अधीन धारा 11 की प्रस्तावित उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाय:—

(3) मुखिया या कार्यपालिका समिति के सदस्यों की अवधि समाप्ति के एक महीना के अन्दर निर्वाचन करा दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखा जाता है कि कार्यकाल समाप्त होने पर भी 2-3 वर्ष के बाद चुनाव होता है। ईसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें

उप-धारा जोड़ी जाय और कार्यकाल समाप्ति के एक महीना बाद चुनाव करा दिया जाय।

श्री शंकर दयाल सिंह—माननीय सदस्य की बात बिलकुल अव्यवहारिक है। एक महीना में चुनाव कैसे हो सकता है?

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

विधेयक के खंड 8 के उप-खंड (3) के अधीन धारा 11 की प्रस्तावित उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाय :—

(3) मुखिया या कार्यपालिका समिति के सदस्यों की अवधि समाप्ति के एक महीना के अन्दर निर्वाचन करा दिया जायेगा"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि:

खंड 8 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक का अंग बना।

श्री राजकुमार पूर्वे—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड (9) के अधीन धारा 11-क की प्रस्तावित उप-धारा (2-के) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाय :

"परन्तु किसी भी हालत में मुखिया और उप-मुखिया का निर्वाचन विधिवत पद रिक्त होने के वर्ष के अन्दर कर लिया जायगा।"

इसमें दिया हुआ है कि जबतक ये पद भरे नहीं जायेंगे तबतक जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनमें से ही कोई मुखिया के रूप में कार्य करेगा। इसका परिणाम यह होता है कि चुनाव होता ही नहीं है, क्योंकि उससे काम तो चलता ही रहता है। इसलिए मैंने संशोधन दिया है कि एक निश्चित सीमा की अवधि के अन्दर चुनाव हो जाय।

श्री शंकर दयाल सिंह—इसकी आवश्यकता नहीं है। समय का बंधन लगाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

विधेयक के खंड 9 के अधीन धारा 11-क की प्रस्तावित उप-धारा (2-क) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाय:—"परन्तु किसी भी हालत में मुखिया और उप-मुखिया का निर्वाचन, विधिवत पद रिक्त होने के वर्ष के अन्दर कर लिया जायगा।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड 9 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक का अंग बना।

श्री तुलसी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

विधेयक के खंड 10 के अधीन धारा 12 की प्रस्तावित उप-धारा (2-क) की पंक्ति दो में शब्द "असफल" के स्थान पर शब्द "विफल" रखा जाय।

मैं तो समझता था कि मेरे प्रस्ताव रखने के पहले ही मंत्री महोदय इसे मान लेंगे, लेकिन पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके चलते मुझे इस संशोधन को रखना पड़ा। इसमें है कि मुखिया अगर कार्यकारिणी की बैठक बुलाने में असफल होगा तो उस पर कारंवाई होगी। तो किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने को असफल कहा जाता है और किसी कर्त्तव्य की पूर्त्ति नहीं होने पर विफल कहा जाता है। इसीलिए मैंने "असफल" के स्थान पर "विफल" रखा है चूंकि मुखिया अपने कार्य में विफल होता है इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय मंत्री को इस संशोधन को मानने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:—

विधेयक के खंड 10 के अधीन धारा 12 की प्रस्तावित उप-धारा (2-क) की पंक्ति दो में शब्द "असफल" के स्थान पर शब्द "विफल" रखा जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री तुलसी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

विधेयक के खंड 10 के अधीन धारा 12 की प्रस्तावित उप-धारा (2-क) की पंक्ति तीन में शब्द "और कार्यपालिका समिति के सदस्यों" विलोपित किये जाय।

इस खंड में लिखा हुआ है कि यदि मुखिया उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक और, या अर्द्ध-वार्षिक बैठकें आयोजित करने में असफल हो जाय तो यह मुखिया और कार्यपालिका समिति के सदस्यों के कर्त्तव्यों की उपेक्षा की कोटि में आएगा। तो बैठक बुलाने की जिम्मेवारी मुखिया की है न कि कार्यपालिका के सदस्यों की इसलिए मुखिया और कार्यपालिका के सदस्यों—दोनों—का निन्दन करना उचित नहीं है। मंत्री महोदय जनतंत्र के प्रेमी हैं और पंचायती राज को लागू करना वे अपना कर्त्तव्य समझते हैं वैसी हालत में कार्यपालिका के सदस्यों को सेन्सर किया जाय यह उचित नहीं है और इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है।

श्री शंकर दयाल सिंह—यह इसका व्यापक रूप दे दिया गया है। बैठक बुलाना मुखिया और कार्यपालिका के सदस्य—दोनों—की जिम्मेवारी है। मुखिया बैठक नहीं बुलाते हैं तो कार्यपालिका के सदस्य उन्हें ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। इस तरह इस संशोधन की जरूरत नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संशोधन को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:—

विधेयक के खंड 10 के अधीन धारा 12 की प्रस्तावित उप-धारा (2-क) की पंक्ति तीन में शब्द "और कार्यपालिका समिति के सदस्यों" विलोपित किये जांय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री रामविलास मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

विधेयक के खंड 10 के अधीन धारा 12 की प्रस्तावित उप-धारा (2-क) की पंक्ति चार में शब्द "आयेगा" के बाद शब्द "और निलंबित कर दिया जायेगा" जोड़े जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कि मुखिया की जवाबदेही है वार्षिक और अर्द्धवार्षिक बैठक बुलाना मगर मुखिया इसमें असफल रहते हैं। इसलिये उन्हें निन्दित नहीं बल्कि निलंबित कर दिया जाय। आजकल मुखिया वार्षिक और अर्द्ध-वार्षिक बैठक नहीं बुलाते हैं और कहीं-कहीं ग्राम सेवक परम्परा निर्वाह करके बैठक बुलाते हैं। तो मुखिया लोग बैठक ढिंढोरा पीटकर नहीं बुलाते हैं। इस तरह से मुखिया गलत काम जो करते हैं इसलिये उन्हें निन्दित नहीं बल्कि निलंबित किया जाना चाहिये।

श्री शंकर दयाल सिंह—इसमें उन्हें हटाने की बात है, निलंबन का प्रश्न नहीं उठता है, निलंबन की आवश्यकता तो सरकारी पदाधिकारी के लिये होती है। उनको हम हटा सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:—

विधेयक के खंड 10 के अधीन धारा 12 की प्रस्तावित उप-धारा (2-क) की पंक्ति चार में शब्द "आयेगा" के बाद शब्द "और निलम्बित कर दिया जायेगा" जोड़े जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:—

खंड 10 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक का अंग बना।

(इस अवसर पर अध्यक्ष, ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

श्री तुलसी सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

विधेयक के खंड 11 के अधीन धारा 13 की प्रस्तावित उप-धारा (4) की पंक्ति पांच में शब्द "विकास समिति" के स्थान पर शब्द "पंचायत समिति" रखे जायं।

अध्यक्ष महोदय, अब कहीं विकास समिति नहीं है, पूरे राज्य में अब पंचायत समिति लागू हो गयी है। पंचायत समिति और जिला परिषद् ऐक्ट की धारा 79 के मुताबिक अब प्रखंड विकास समिति समाप्त हो गयी है। जब विकास समिति है ही नहीं तो इस शब्द को रखने की जरूरत नहीं है।

श्री शंकर दयाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं है। विकास समिति तो है नहीं। सारे राज्य में पंचायत समिति काम कर रही है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:—

विधेयक के खंड 11 के अधीन धारा 13 की प्रस्तावित उप-धारा (4) की पंक्ति पांच में शब्द "विकास समिति" के स्थान पर शब्द "पंचायत समिति" रखे जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:—

खंड 11 और 12 इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 11 और 12 विधेयक के अंग बने।

श्री तुलसी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

विधेयक के खंड 13 के अधीन प्रस्तावित धारा 48-ग विलोपित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, 48-ग में कहा गया है—

(1) ग्राम पंचायत के अधीन निर्वाचनीय पदों के लिये राज्य सरकार विहित दरों पर और विहित रीति से अप्रत्यर्पणीय मनोनयन फीस को उदग्रहीत और संग्रहीत कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार इस प्रकार संग्रहीत मनोनयन फीस की रकम ग्राम पंचायत के निर्वाचनों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये नियत कर देगी और यह एक पृथक निधि होगी ।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि जो फीस लिया जायगा उससे चुनाव का खर्च किया जायगा । फीस भी निश्चित नहीं की गयी है । इसलिये शोषण किया जायगा । इसलिये मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन को मान लें ।

श्री रामविलास मिश्र– अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

विधेयक के खंड 13, के अधीन प्रस्तावित धारा 48-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाय :—

"48-ग ग्राम पंचायत के अधीन निर्वाचनीय पदों के लिए राज्य सरकार निःशुल्क मनोनयन-पत्र संग्रहीत कर सकेगी ।"

अध्यक्ष महोदय, संशोधन में निःशुल्क इसलिये रखा है कि हर बात में फीस लेकर चुनाव कराना अच्छी बात नहीं है । ग्राम पंचायत को तो निःशुल्क होने दीजिये ।

श्री शंकर दयाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, फीस रहना चाहिए । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लें ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड 13 के अधीन प्रस्तावित धारा 48-ग विलोपित किया जाय ।

विधेयक के खंड 13 के अधीन प्रस्तावित धारा 48-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाय :—

"48-ग ग्राम पंचायत के अधीन निर्वाचनीय पदों के लिये राज्य सरकार निःशुल्क मनोनयन-पत्र संग्रहीत कर सकेगी ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 13 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक का अंग बना।

अब शेष काम 6 बजे के बाद होगा।

सामान्य लोक हित के विषय पर विमर्श:

छोटानागपुर एवं संथालपरगना की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति।

अध्यक्ष— प्रस्ताव उपस्थापित करने वाले माननीय सदस्य 10 मिनट बोलेंगे और दूसरे सदस्य पांच-पांच मिनट बोलेंगे।

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि 10 मिनट बोलने के लिये समय दिया जाय।)

श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा था और हमलोगों ने राय विचार किया था, बातचीत हुयी थी यदि दो घंटे में वाद-विवाद सम्पन्न नहीं होगा और आगे बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष—मैं इस बात पर अभी भी हूं। मैं ऐसा इसलिये कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि अधिक-से-अधिक लोग बोल सकें, मेरी मंशा यही है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि बहुत ही अहम मसले पर वाद-विवाद रखा गया है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को इस वाद-विवाद में रहना आवश्यक है। माननीय मुख्य मंत्री सदन में नहीं है।

अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(सदन में आवाज—मुख्य मंत्री को सदन में रहना चाहिये।)

शांति-शांति। माननीय सदस्य श्री राज कुमार पूर्वे ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जब यह विषय चल रहा